न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/597

1. चन्द्रमोहन आत्मज प्रभूलाल ।
2. हीरा लाल आत्मज प्रभूलाल ।
3. शंकर लाल आत्मज प्रभूलाल ।
4. शांति लाल आत्मज प्रभूलाल ।
5. सोहन लाल आत्मज प्रभूलाल ।
6. लाडबाई पुत्री प्रभूलाल
7. सुमित्रा बाई पुत्री प्रभूलाल ।
8. फूलचन्द आत्मज जुवारी लाल ।
9. मनोज बाई पुत्री रामप्रसाद ।
10. पूरण आत्मज रामप्रसाद ।
11. कपिल आत्मज रामप्रसाद ।
12. भीमराज आत्मज रामप्रसाद ।
13. ममता पुत्री रामप्रसाद ।
14. रतन पुत्र रामप्रसाद ।
15. कैलाश चन्द पुत्र जुवारी लाल ।
16. दुर्गालाल पुत्र जुवारी लाल ।
17. किशनलाल पुत्र गोगा ।
18. रामस्वरूप पुत्र गोगा ।
19. कैलाश चन्द पुत्र गोगा ।
20. शंकर लाल पुत्र गोगा ।
21. किशनी बाई पुत्री गोगा ।
22. शांति बाई पुत्री गोगा ।
23. भूली बाई पुत्री गोगा ।
24. प्रेम बाई पुत्री गोगा ।
25. गीता बाई पुत्री गोगा ।
26. रामकल्याण पुत्र दोला ।
27. मोती लाल पुत्र दोला ।
28. जमना बाई पुत्री दोला ।
29. प्रेमशकर आत्मज रामप्रसाद ।
30. विनोद कुमार आत्मज रामप्रसाद ।
31. नवल किशोर आत्मज रामप्रसाद ।
32. ओमप्रकाश पुत्र नाथू ।
33. रामलक्ष्मण पुत्र नाथू ।
34. नारायण पुत्र केशो मृतक जरिये कायममुकामान –
    34/1. बंशीलाल आत्मज नारायण ।
35. रामनाथ पुत्र केशो
36. जगन्नाथ आत्मज केशो मृतक जरिये कायममुकामान :–
    36/1. बजरंग लाल आत्मज जगन्नाथ जी ।
    36/2. रामरतन आत्मज जगन्नाथ जी ।

36/3. सतवीर आत्मज जगन्नाथ जी ।
37. महावीर पुत्र हजारा ।
38. शांतिलाल पुत्र हजारा ।
39. मूलचन्श्रद पुत्र हजारा ।
40. सुरती बाई पुत्री हजारा ।
41. भंवरी बाई पुत्री हजारा ।
42. धन्नी बाई पुत्री हजारा ।
43. केसर बाई बेवा आनन्दी लाल ।
44. नन्दकिशोर आत्मज आनन्दीलाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
    44/1. मोहनी बाई बेवा नन्दकिशोर ।
    44/2. मुरली मनोहर पुत्री नन्दकिशोर ।
    44/3. कपिल पुत्र नन्दकिशोर
    44/4. आरती पुत्री नन्दकिशोर ।
    44/5. कल्पना पुत्री नन्दकिशोर ।
45. महेन्द्र पुत्र पुष्पचन्द ।
46. राजू पुत्र पुष्पचन्द
47. धन्नी बेवा पुष्पचन्द
48. रेखा पुत्री पुष्पचन्द जातियान माली निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय **दिनांकः 27.04.2018**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2010 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.01.2010 के द्वारा निर्णय दिनांक 20.08.1970 जुवारी लाल वगै0 बनाम नारायण वगै0 के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश पारित किया कि खातेदारान के खाते में आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 112 बीघा 05 बिस्वा भूमि होना बताया जिसके मेट्रिक प्रणील से 17.96 हैक्टर बनना बताया तथापि सेटलमेंट विभाग द्वारा जमाबन्दी सेटलमेंट संवत 2038–57 में

रकबा 19.34 होना अर्थात् 1.38 हैक्टर अधिक दर्ज होना बताया है । उक्त अधिक दर्ज रकबा 1.36 हैक्टर सिवायचक दर्ज किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.01.2010 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में अपील प्रस्तुत की उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अपीलाधीन आदेश के कारण खारिज कर देने से अंतिम बार नकल का प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 16.11.2017 को खारिज कर दिया । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बिना जानकारी व सूचना के पारित होने से न्याय हित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा स्थित आराजी दिनांक 01.03.1958 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 121 बीघा 05 बिस्वा भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके सम्बन्ध में बंटवारे का वाद विभिन्न न्यायालयों में जैरकार रहने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 19.11.1997 को अंतिम बंटवारे की डिक्री प्रदान की गई । उक्त कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बोरखण्डी स्थित आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 2.02 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 209 की रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 212/489 रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 1.21 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 216/471 रकबा 1.35 हैक्टर में से 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 225/456 रकबा 0.27 हैक्टर भूमि को अपीलाधीन आदेश से सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट क्रय की गई भूमि काबिज काश्त है । बाद क्रय उक्त भूमि पर सेटलमेंट कार्य किया गया सेटलमेंट विभाग द्वारा भी अपीलान्ट की आराजी का कोई रकबा नहीं बढाया गया और बाद सेटलमेंट पूर्व रकबा ही अपीलान्ट को प्रदान किया गया है जिसमें किसी प्रकार की रकबा की बढोतरी नहीं होने के बावजूद भी बिना सूचना, बिना नोटिस व बिना जानकारी के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.01.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि अपीलान्ट के खाते में सेटलमेंट ने 1.38 हैक्टर भूमि अधिक दर्ज कर दी जिसे अपीलान्ट

के खाते से कम किया जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2010 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा स्थित आराजी दिनांक 01.03.1958 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 121 बीघा 05 बिस्वा भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके सम्बन्ध में बंटवारे का वाद विभिन्न न्यायालयों में जैरकार रहने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 19.11.1997 को अंतिम बंटवारे की डिक्री प्रदान की गई । उक्त कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बोरखण्डी स्थित आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 2.02 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 209 की रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 212/489 रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 1.21 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 216/471 रकबा 1.35 हैक्टर में से 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 225/456 रकबा 0.27 हैक्टर भूमि को अपीलाधीन आदेश से सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना नोटिस व बिना जानकारी के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायाहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 11.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा